

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोजेन्ट

श्री डॉ. पी.एम. सिंहदेव पुत्र श्री जी.रामचन्द्र मीना
जाति मीना
निवासी 7/8 गीता विहार
हरी मार्ग जगतपुरा जयपुर
जिला जयपुर

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
तहसीलदार सिरौही

किरम मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 51 वर्ष 2020

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
21.08.2020	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोजेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी को दिनांक 19.06.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि मौजा सिरौही के खसरा नं. 618/1/1, 622/1, 623, 624/1, 760, 761, 763, 764/1, 770/1 कुल कित्ता 9 रकबा 57 बीघा 9 बिस्वा की गिरदावरी एवं खातेदारी व अधिग्रहण के सम्बन्ध में सूचना संबंधित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रुपये 10 जमा करा दिये हैं। अपीलांत द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी को दिनांक 19.06.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया मौजा सिरौही के खसरा नं. 618/1/1, 622/1, 623, 624/1, 760, 761, 763, 764/1, 770/1 कुल कित्ता 9 रकबा 57 बीघा 9 बिस्वा की गिरदावरी एवं खातेदारी व अधिग्रहण के सम्बन्ध में सूचना चाही गई थी तहसीलदार सिरौही द्वारा संबंधित अपीलांत को जरिये पत्र क्रमांक 1320-21 दिनांक 17.07.2020 द्वारा प्रति पृष्ठ 2 रुपये की दर से राशि राजकोष में 31.07.2020 तक जमा कराने का लिखा गया था किन्तु उनके द्वारा राशि जमा नहीं कराने से चाही गई समस्त सूचना उन्हें निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नहीं कराई गई है। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सिरौही को आदेशित किया जाता है कि राशि जमा होने पर अपीलांत को चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों में संभव नहीं हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांत को सूचित करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरौही